कार्यालय :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा।

E-mail:- dfo-lohardagga@gov.in Ph. & Fax - 06526 – 224285 /359028

पत्रांक ..../लो0, दिनांक ....

सेवा में,

महाप्रबंधक,
भूविज्ञान और पर्यावरण,
मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
कोर्ट रोड, लोहरदगा।

विषय :– मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा अन्तर्गत मौजा–बगड़ू में बॉक्साईट खनन हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेफ्टी जोन एरिया सम्मिलित) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– Government of India Ministry of Environment & Forest (F.C Diverson) Lt. No. F.No. 8-78/1996-FC(Pt.) dated- 30 September 2016, Lt. No. F.No. 2-1/2003-FC(Pt.) dated- 6th December 2004, Lt. No. 5-5/86-FC dated- 25-11-1994, Lt. No. F.No. 8-27/2015-FC dated- 21 September 2017 and Supreme Court Judgement Civil Appeal No (S) 2818 of 2015 (@ SLP © No(S). 32226 of 2009)

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा अन्तर्गत मौजा–बगड़ू में बॉक्साईट खनन हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेफ्टी जोन एरिया सम्मिलित) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है परन्तु 1980 से पूर्व खण्डित 9.87 हे0 वनभूमि का प्रस्ताव समर्पित नहीं किया गया है। भारत सरकार के प्रासंगिक गाइडलाइन में स्पष्ट उधृत है "Seek prior approval of Central Government under the FC Act for use of such already broken up forest land for mining and allied activities" विस्तृत रूप से अनुसरण हेतु सभी प्रासांगिक पत्र अनुलग्नक के रूप में संलग्न प्रेषित की जाती है। साथ ही यह उल्लेख करना है कि जहाँ भी वन भूमि सम्मिलित हो वहां बिना वनभूमि अपयोजन के खनन–पट्टा निष्फलित एवं अमान्य है।

अतः सभी वन क्षेत्र जिसमें Infrastructure भी शामिल है, उक्त वन भूमि का अपयोजन हेतु प्रस्ताव Parivesh Portal के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई की जाए। साथ ही वर्तमान में वन भूमि अन्तर्गत Mining & Allied Activity (चाहे वह 1980 के पूर्व का ही हो) को तुरन्त बन्द करते हुए उक्त वन भूमि को वन विभाग के सुपुर्द किया जाए जब तक कि वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति नहीं मिल जाती है।

आपका विश्वासी,

अनु०: यथोक्त।

ह०/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लोहरदगा वन प्रमण्डल,
लोहरदगा।

ज्ञापांक ..../लो0,   दिनांक ....

प्रतिलिपिः वन क्षेत्र पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि मेसर्स हिण्डालको बॉक्साईट माईन्स बगड़ू के 1980 से पूर्व ब्रोकन अप एरिया 9.87 हे0 को अपने कब्जे में लेते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य होने नहीं देंगे।

ह०/–

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लोहरदगा वन प्रमण्डल,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 682 /लो0,   दिनांक 28-06-25

प्रतिलिपिः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

28/6/2025

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लोहरदगा वन प्रमण्डल,
लोहरदगा।
28/6/25

Reg. Ms Hindalco 9.69 Ha